न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 03 सन 2021
अनवान :–

1. निराणाराम उर्फ नारायणराम पुत्र जुहाराराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रमुखी 3 भगवानाराम 4. मुखराम 5. माडुराम 6. रामचन्द्र 7. सुरजमुखी 8. सरबती 9. हरिकृष्ण पुत्र/पुत्रीया दाखा जाति बांवरी निवासी ढाबा तहसील संगरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश रोही मौजा बिरकाली बारानी के नामान्तकरण संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर इन्तकला संख्या 2798 जिसकी रूह से तस्दीक किया गया है को निरस्त करवाने हेतु जो राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.10. 2020 से स्थगन के बाद तस्दीक किया गया है।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री संतलाल तिवाडी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक :– 28/01/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 175/138 की कुल 4.7680हैक्‍ भूमि का वाद निराणाराम आदि बनाम तुलछाराम आदि न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर में चला जिसमें अपीलान्ट के वाद को स्वीकार नही किया गया उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जा काश्त मे चली आ रही है

अपीलान्ट श्रीमान अदालत सहायक कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 08.03.2010 के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी हनुमागढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट को सुना जाकर दिनांक 15.10.2020 को स्थगन आदेश जारी हुआ है जिसको राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार राजस्व नोहर को एक प्रार्थना पत्र 16.10. 2020 को प्रस्तुत किया जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.10.2020 को जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है स्थगन आदेश के प्रभावी रहते चक बिरकाली बारानी की उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 सरंपच ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा तस्दीक किया गया जो निरस्त योग्य है अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 का ज्ञान कभी नही हुआ था ना ही इन्तकाल दर्ज करवाने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 रोही मौजा बिरकाली बारानी को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया रेस्पोडन्स संख्या 1 ,2 ,7,8 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई रेस्सपोडेन्टस संख्या 3 ता 6 ,9 जरिये

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता उपस्थित आये रिकार्ड /नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध होने के कारण अन्य रिकार्ड तलब नही किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 175/138 की कुल 4.7680हैक्‍ भूमि का वाद निराणाराम आदि बनाम तुलछाराम आदि न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर में चला जिसमें अपीलान्ट के वाद को स्वीकार नही किया गया उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जा काश्त मे चली आ रही है

अपीलान्ट श्रीमान अदालत सहायक कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 08.03.2010 के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी हनुमागढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट को सुना जाकर दिनांक 15.10.2020 को स्थगन आदेश जारी हुआ है जिसको राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार राजस्व नोहर को एक प्रार्थना पत्र 16.10. 2020 को प्रस्तुत किया जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.10.2020 को जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है स्थगन आदेश के प्रभावी रहते चक बिरकाली बारानी की उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 सरंपच ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा तस्दीक किया गया जो निरस्त योग्य है अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 का ज्ञान कभी नही हुआ था ना ही इन्तकाल दर्ज करवाने से पूर्व अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टस को सुना गया।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 2798 दिनांक 10.01.2021 रोही मौजा बिरकाली बारानी को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 6 ,9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी में भीयाराम बावरी के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज थी जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई थी भीयाराम ने अपने दो पुत्रों के नाम वसीयत कर दी थी जिसके विरूद्व भीयाराम के अन्य पुत्रों के द्वारा सिविल कोर्ट में वसीयत निरस्त का दावा पेश किया गया था माननीय न्यायालय ने वसीयत खारिज करने के आदेश पारित किये जिसकी अपील की गई जो अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई

वसीयत खारिज होने के बाद भीयाराम के सभी वारिसान के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज कर दी गई तत्पश्चात निराणाराम ने राजस्व न्यायालय में एक वाद निराणाराम बनाम तुलछाराम पेश किया गया जो दिनांक 08.03.2010 को खारीज फरमा दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में की गई जो अदम पैरवी में दिनांक 10.10.2013 को खारिज फरमा दी गई जिसको रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मृत व्यक्तियों के विरूद्व पेश किया गया हे तुलछाराम दिनांक 12.05.2020 को फोत हो चुका है जिसका विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हो चुका है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 अपील जो राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है में पक्षकार नही है अपील तुलछाराम जो मृत है के विरूद्व चल रही है तुलछाराम के वारिसान के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नही है तथा अपील मियाद बाहर है अपील अपीलान्ट संधारण योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

निराणाराम ने एक राजस्व वाद निराणाराम बनाम तुलछाराम पेश किया गया था जो बाद सुनवाई दिनांक 08.03.2010 को वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया था जिसकी अपील निराणाराम ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई थी वह भी अदम पेरवी में 10.10.2013 को खारीज फरमा दी गई थी जिसको रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र एव स्थगन आदेश का प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.10.2020 को स्थगन आदेश पारित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:36 IST
Reason: SelfAttested

निराणाराम ने रेस्टोर प्रार्थना पत्र पूर्व अपील को रेस्टोर करने का पेश किया गया था अर्थात तुलछाराम भी बतौर रेस्पोडेन्टस दर्ज था जबकि तुलछाराम का देहान्त दिनांक 12.05.2020 को हो चुका था अर्थात मृत व्यक्ति के विरूद्व रेस्टोर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निराणाराम ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई अपील में हस्तगत अपील के रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 10 पक्षकार नही थे अर्थात रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 10 के विरूद्व निषेधाज्ञा नही है।

अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 2798 जो दिनांक 22.01.2021 को संरपच ग्राम पंचायत बिरकाली के द्वारा स्वीकृत किया गया है को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है यह नामान्तकरण दाखा पुत्री भीयाराम के देहान्त होने पर उसके वाारिसान के नाम विरास्तन से दर्ज करने का है

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में विचाराधीन अपील में दाखा पुत्री भीयाराम को पक्षकार ही नही बनाया गया है तथा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन अपील का रेस्पोडेन्टस तुलछाराम का भी देहान्त हो चुका है तथा अपील में माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होना भी अवगत करवाया गया है

उक्त विवेचन अनुसार भीयाराम की बसीयत निरस्त होने पर विरास्तने से भीयाराम के वारिसान के नाम भूमि दर्ज हुई है तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे विचाराधीन अपील में दाखा जिसका विरास्तान नामान्तकरण दर्ज किया गया है पक्षकार नही है तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में विचाराधीन अपील का रेस्पोडेन्टस तुलछाराम का देहान्त हो चुका है। मात्र अपीलान्ट के कथनों के आधार पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:14:36 IST
Reason: SelfAttested